न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –26/2021

दायर दिनांक –12.07.2021

निर्णय दिनांक –13.09.2021

जीसीएमएस नं0 –2021/64

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री उंकार जाति भांबी उम्र 43 वर्ष निवासी भांभियों की ढाणी, सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस0के0चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी (तहसीलदार पुष्कर) हाजिर। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना... हेतु निवे... ...रिश स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं ... उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को ... पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गोयला पटवार हल्का किशनपुरा की आराजी संख्या 796 रकबा 0.9000 है0 भूमि में पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:13:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

की कार्यवाही करें। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस आशय बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.9.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:13:09 IST
Reason: SelfAttested